

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 299 / 2024-25

दिनांक : 13.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मथाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री फिरोज अहमद पुत्र श्री रहीस अहमद,
वार्ड नं० 07, मौहल्ला शास्त्री नगर, केलाखेड़ा।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री फिरोज अहमद पुत्र श्री रहीस अहमद का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-3622406084599 (04 किलोवाट, घरेलू) का विद्युत बिल कुछ माह पहले सी.डी.एफ. के आधार पर गलत जारी हो गया था, उसी दौरान विद्युत मीटर भी जल गया। प्रार्थी द्वारा मीटर जलने से पहले रीडिंग की फोटो ले ली गई थी जो शिकायत पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 04.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 17.03.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 25.03.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 25.03.2025, 08.04.2025 व 21.04.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

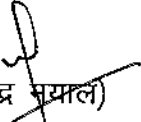
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1245 दिनांक 19.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा उपलब्ध करायी गयी माह 12/2024 की रीडिंग के अनुसार परिवादी को रू० 19853.00 का समायोजन देते हुए रू० 8878.60 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना

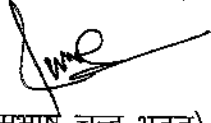
क्रमशः 2.....

एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मय्याल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 302/2024-25

दिनांक : 13.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री गुरमीत सिंह पुत्र श्री हरचन्द सिंह,
सरपुड़ा फार्म, खटीमा।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री गुरमीत सिंह पुत्र श्री हरचन्द सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 06.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-KH9N240230080 (7.50 एच.पी. नलकूप) का विद्युत बिल गलत जारी किया जा रहा है जबकि उनका मीटर सही रीडिंग दिखा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठ्यांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 06.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 17.03.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.03.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.03.2025, 08.04.2025 व 22.04.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक-2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-63 दिनांक 19.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के बिलिंग विवरण की जांच करने पर पाया गया कि परिवादी के विद्युत बिलों में 24452 केडब्ल्यूएच पाठ्यांक अंकित कर बिल प्रेषित किया जा रहा है। जबकि परिवादी के विद्युत मापक की एम.आर.आई. करायी गई जिसमें 6994 केडब्ल्यूएच रीडिंग प्रदर्शित हो रही है। जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि परिवादी के बीजकों में त्रुटिवश गलत पाठ्यांक

क्रमशः 2.....

अंकित कर बिल निर्गत किया गया है। चूंकि परिवादी का निजी नलकूप संयोजन है जिसकी बिलिंग माह जून व दिसम्बर में की जाती है। जिस कारण परिवादी के विद्युत बीजकों को संशोधन करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। परिवादी के विद्युत बीजक को माह जून 2025 की बिलिंग होने के उपरान्त एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर विद्युत बिल संशोधित कर समस्या का समाधान कर दिया जायेगा। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप एम.आर.आई. रिपोर्ट, उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखित पत्र एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी का माह 06/2025 का बिल एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर बनाकर उसे प्रेषित करें। विपक्षी विभाग दिनांक 15.07.2025 तक इस आदेश की अनुपालन आख्या इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 314/2024-25

दिनांक : 13.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री हरी चरण पुत्र श्री मिठाई लाल,
ग्राम इन्द्रा कालोनी, गदरपुर।
बनाम

परिवादी

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर-2

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री हरी चरण पुत्र श्री मिठाई लाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या—RU1C107186465 (01 किलोवाट घरेलू) के विद्युत बिलों का जो भुगतान किया जा रहा है, वह रसीदें सिस्टम में नहीं चढ़ रही हैं। जिस कारण बिल बकाया ही दिखाया जा रहा है। बिल बकाया होने पर विभाग द्वारा कनेक्शन काट दिया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल को संशोधित कराने एवं संयोजन को ऊर्जीकृत कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रूद्रपुर-2 को अपने पत्र दिनांक 18.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 22.03.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 24.03.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 24.03.2025, 07.04.2025 व 22.04.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

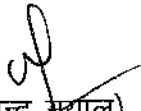
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—1629 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा रसीद संख्या—जी०48479/06 के द्वारा दिनांक 31.01.2023 को रू० 20000.00 का भुगतान किया गया था, जिसे ब्याज सहित (कुल रू० 26250.00) बिलिंग लेजर में अद्यतन कर दिया गया है, जिसके उपरान्त वर्तमान में परिवादी पर रू० 43343.00 का बिल भुगतान हेतु लंबित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल

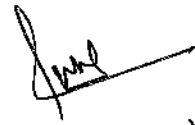
क्रमशः 2.....

गणना एवं कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र भट्टाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 315/2024-25

दिनांक : 13.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री शंकर विश्वास पुत्र श्री संजय विश्वास,
ग्राम जेल कैम्प 05, रुद्रपुर, सितारगंज।
बनाम

परिवादी

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री शंकर विश्वास पुत्र श्री संजय विश्वास का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-881J199658863 (01 किलोवाट घरेलू) जो शंकर विश्वास के नाम दर्ज है वह उक्त संयोजन को अपनी पत्नी के नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय), सितारगंज में कई बार सम्पर्क किया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उनकी ग्राम सभा में कुछ नये संयोजन का भी आवेदन किया गया व पिता की मृत्यु के बाद उनके वारिस के नाम संयोजन दर्ज करने हेतु भी आवेदन किया गया, लेकिन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी भी मामले पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। कुछ मामलों को लम्बित रखते हैं व कुछ मामलों को निरस्त कर देते हैं। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 18.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 22.03.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 25.03.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 25.03.2025, 07.04.2025 व 23.04.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री आलोक सचान, उपखण्ड अधिकारी (ग्रामीण), सितारगंज के तर्क सुने गये।

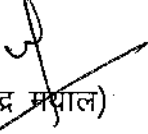
विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी (ग्रामीण), सितारगंज ने अपने पत्र संख्या-156

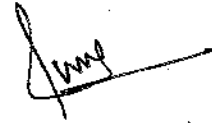
क्रमशः 2.....

दिनांक 23.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा अपने उक्त विद्युत संयोजन के नाम परिवर्तन हेतु दिनांक 28.03.2025 को आवेदन किया गया था, जिसमें परिवादी द्वारा भूमि स्वामित्व से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज उपखण्ड कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराए गये थे, जिसके अनुक्रम में परिवादी को उपखण्ड कार्यालय के पत्रांक-116/वि0वि0उ0ख0(सि0) द्वितीय दिनांक 02.04.2025 द्वारा भूमि स्वामित्व से सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था। लेकिन परिवादी द्वारा उक्त परिसर/भूमि स्वामित्व से सम्बन्धित दस्तावेज उपखण्ड कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये गये जिस कारण परिवादी के नाम संशोधन के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि परिवादी द्वारा उक्त परिसर/भूमि पर अपनी पत्नी श्रीमती मीना विश्वास के नाम से एक अन्य नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया है जिसके क्रम में परिवादी ने नये विद्युत संयोजन हेतु पंजीकरण संख्या-(457170425009) किया गया है। उक्त आवेदन पर विभागीय स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप परिवादी को प्रेषित लिखित पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी की पत्नी के आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उसे नया संयोजन निर्गत करें। विपक्षी विभाग 30 दिन के भीतर इस आदेश की अनुपालन आख्या इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मथाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 317/2024-25

दिनांक : 13.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री सवरूप सिंह वास्ते श्री अरमान सिंह,
ग्राम गगनापुर मझौला, खटीमा।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता

विपक्षी

विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री सवरूप सिंह की ओर से श्री अरमान सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 19.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके उनके पिता श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री सवरूप सिंह के नाम पर विद्युत संयोजन संख्या—KH9N240152049 (05 किलोवाट नलकूप) स्थापित है। विभाग द्वारा उक्त संयोजन का कई वर्षों से गलत बिल जारी किया जा रहा है। वह अपने बिल का भुगतान हर साल करते आ रहे हैं फिर भी बिल अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के पाठ्यांक के आधार पर त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल (रु० 71374.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 19.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 25.03.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.03.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.03.2025, 08.04.2025 व 22.04.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक-2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—632 दिनांक 19.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर दिनांक 19.03.2020 को मापक बदलकर नया विद्युत मापक स्थापित किया गया था। उक्त विद्युत मापक में दिनांक 17.01.2024 को

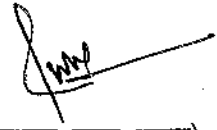
क्रमशः 2.....

13269 केडब्लूएच एवं दिनांक 30.06.2024 को 24437 केडब्लूएच रीडिंग अंकित हुई, जोकि त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। परिवादी का बिल 270.80 यूनिट प्रतिमाह की औसत खपत के आधार पर मैन्युअली संशोधित करते हुए उसे रू0 64479.20 की अवास्तविक राशि का समायोजन दे दिया गया है, जिसके उपरान्त परिवादी का रू0. 6894.80 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 321/2024-25

दिनांक : 13.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुमन दीप सिंह पुत्र श्री प्रतिपाल सिंह,
ग्राम लालपुर, किच्छा।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

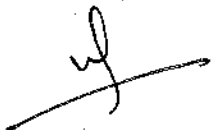
विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री सुमन दीप सिंह पुत्र श्री प्रतिपाल सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-KC1F127574228 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल समयानुसार प्राप्त नहीं हो रहा है और ही उन्हें मोबाईल पर बिल सम्बन्धी कोई जानकारी दी जा रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल की जानकारी मोबाईल पर उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 24.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 29.03.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.04.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

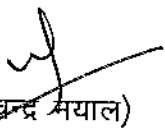
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1127 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर परिवादी का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आईडी अपडेट कर दी गई है, जिससे भविष्य में परिवादी को ई-मेल द्वारा बिल प्राप्त हो जायेगा। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप उपखण्ड अधिकारी, किच्छा द्वारा लिखित पत्र अपडेट स्टेटस की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

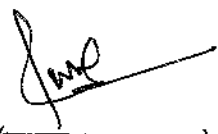


क्रमशः 2.....

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 322/2024-25

दिनांक : 13.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र गुप्ता,
वास्ते श्री शुभम कुमार, पता-प्रकाश कंट्री,
अलीगंज रोड, काशीपुर।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र गुप्ता की ओर से श्री शुभम कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-376AJS6124781 (01 किलोवाट व्यवसायिक) पर स्थापित विद्युत मीटर खपत से अधिक रीडिंग प्रदर्शित कर रहा है, जिस कारण बिल अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच कराकर, मीटर बदलवाने एवं विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 24.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 29.03.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.04.2025 एवं 21.04.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1757 दिनांक 19.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक की रीडिंग बैक हो गई, जिसके संबंध में शिकायत संख्या-20704250526 के द्वारा त्रुटिपूर्ण विद्युत मापक बदलवाकर नया विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है। साथ ही परिवादिनी के विद्युत

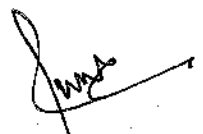
क्रमशः 2.....

बिल भी संशोधित कर रू0 729.99 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।


(रमेश चन्द्र भट्टाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 331/2024-25

दिनांक : 13.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री करम चन्द्र पुत्र श्री बालीराम,
ग्राम दरऊ, किच्छा।
बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री करम चन्द्र पुत्र श्री बालीराम का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या—KC9G205002662 (05 एच.पी. नलकूप) के विद्युत बिल का भुगतान विभाग द्वारा बतायी गई धनराशि के अनुरूप प्रतिवर्ष किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष विभाग द्वारा जो बिल प्रेषित किया गया है वह बहुत अधिक है और ब्याज भी अधिक लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठ्यांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 29.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 05.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.04.2025 व 21.04.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—1357 दिनांक 19.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की एम.आर.आई. करने एवं बिलिंग हिस्ट्री विवरण जांचने पर पाया गया कि परिवादी को मीटर में अंकित वास्तविक खपत के बिल जारी किए गए हैं, जोकि नियमानुसार हैं। वर्तमान में परिवादी पर

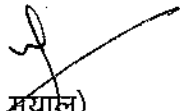
क्रमशः 2.....

रु0 67389.00 का बिल भुगतान हेतु लंबित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल, एम.आर.आई. रिपोर्ट, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को मीटर में अंकित रीडिंग का बिल निर्गत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध एमआरआई रिपोर्ट में भी मीटर रीडिंग की पुष्टि होती है। चूंकि वास्तविक खपत के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-4, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 323/2024-25

दिनांक : 14.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती नाजुक पत्नी स्व० श्री आशिक अली,
ग्राम चनकपुर, बाजपुर।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती नाजुक पत्नी स्व० श्री आशिक अली का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-361BK01507442 (01 किलोवाट घरेलू) जो उनके स्वर्गीय पति श्री आशिक अली के नाम दर्ज है, जिनका निधन रोड एक्सिडेंट में दिनांक 01.07.2022 हो गया था। पति की मृत्यु के बाद से ही वह उक्त परिसर पर निवास नहीं करती है। साथ ही उक्त कनेक्शन भी तभी से बन्द पड़ा है। परिवादिनी अपने पति की मृत्यु के बाद मजदूरी कर बच्चों का पालन-पोषण कर रही है तथा वह इतना अधिक बिल का भुगतान करने में असमर्थ है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिल (रु० 54000.00) को माफ कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 24.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 29.03.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.04.2025 एवं 21.04.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1246 दिनांक 19.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी को प्रेषित विद्युत बिल माह 11/2022 के उपरांत पूर्व विद्युत बिलों की खपत की अपेक्षाकृत अत्यधिक प्रतीत होने के कारण परिवादिनी के परिसर का

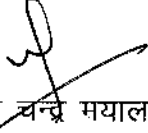
क्रमशः 2.....

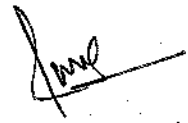
स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा उसके वास्तविक विद्युत खपत उपभोग के आधार पर परिवादिनी के विद्युत बिल संशोधित कर रू0 8481.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, उपखण्ड अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी द्वारा अपनी इस शिकायत में अपने विद्युत बिल रू0 54000.00 को माफ करने का अनुरोध किया गया है, जोकि विभागीय नियमानुसार संभव नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी के संयोजन के वास्तविक उपभोग के आधार पर उनका बिल संशोधित कर रू0 8481.00 का बना दिया गया है, जिसकी देयता परिवादिनी पर बनती है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी से संशोधित बिल रू0 8481.00 की धनराशि नियमानुसार वसूल करें। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।


(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 327 / 2024-25

दिनांक : 14.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मनोज चौहान पुत्र श्री बलराम,
म०नं० 258, आवास विकास, वार्ड नं० 05, गदरपुर।
बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-2

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री मनोज चौहान पुत्र श्री बलराम का एक शिकायती पत्र दिनांक 27.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विभागीय कार्यालय में एक नये विद्युत संयोजन हेतु दिनांक 19.02.2025 को आवेदन किया गया है जिसकी आवेदन संख्या-111902250197 है। विभाग द्वारा आज दिनांक तक मीटर नहीं लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर नये विद्युत संयोजन को जल्द से जल्द लगवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-2 को अपने पत्र दिनांक 27.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 05.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.04.2025 व 22.04.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1628 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा नए विद्युत संयोजन हेतु दिनांक 11.04.2025 को ₹० 5000.00 का भुगतान किया गया, जिसके उपरान्त दिनांक 16.04.2025 को परिवादी परिसर पर नया विद्युत संयोजन निर्गत कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप न्यू कनेक्शन रिलीज की ऑनलाईन स्टेटस रिपोर्ट प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी

क्रमशः 2.....

विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 328/2024-25

दिनांक : 14.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र मट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री धमेन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह,
पक्की खमरिया, ग्राम लालपुर, किच्छा।
बनाम

परिवादी

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री धमेन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-KC9G205000922 (05 एच.पी. नलकूप) के विद्युत बिल का भुगतान प्रतिवर्ष किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष विभाग द्वारा जो बिल प्रेषित किया गया है वह बहुत अधिक है और ब्याज भी अधिक लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठ्यांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 29.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 05.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.04.2025 व 21.04.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1358 दिनांक 19.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की एम.आर.आई. करने एवं बिलिंग हिस्ट्री विवरण जांचने पर पाया गया कि परिवादी को वास्तविक खपत के आधार पर बिल निर्गत किया गया है, जोकि नियमानुसार है। वर्तमान में परिवादी पर ₹0 121933.00 का बिल भुगतान हेतु लंबित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप



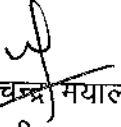
 क्रमशः 2.....

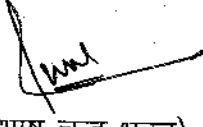
विद्युत बिल, एम.आर.आई. रिपोर्ट, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को मीटर में अंकित रीडिंग का बिल निर्गत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध एमआरआई रिपोर्ट में भी मीटर रीडिंग की पुष्टि होती है। चूंकि वास्तविक खपत के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहशदून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मथाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 329/2024-25

दिनांक : 14.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री टहल सिंह,
ग्राम पक्की खमरिया, लालपुर, किच्छा।
बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री टहल सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-KC9G205002472 (05 एच.पी. नलकूप) के विद्युत बिल का भुगतान विभाग द्वारा बताये गई धनराशि के अनुरूप प्रतिवर्ष किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष विभाग द्वारा जो बिल प्रेषित किया गया है वह बहुत अधिक है और ब्याज भी अधिक लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 29.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 05.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.04.2025 व 21.04.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1359 दिनांक 19.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की एम.आर.आई. करने एवं बिलिंग हिस्ट्री विवरण जांचने पर पाया गया कि परिवादी को मीटर में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर बिल प्रेषित किए गए हैं, जोकि नियमानुसार हैं। वर्तमान में

क्रमशः 2.....

परिवादी पर रू0 80766.00 का बिल भुगतान हेतु लंबित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल, एम.आर.आई. रिपोर्ट, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को मीटर में अंकित रीडिंग का बिल निर्गत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध एमआरआई रिपोर्ट में भी मीटर रीडिंग की पुष्टि होती है। चूंकि वास्तविक खपत के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 05/2025-26

दिनांक : 14.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती नीरा देवी वास्ते श्री अनमोल चौधरी,
विपुल विहार सोधी फार्म, ग्राम कुंडयोवाला, जसपुर खुर्द, काशीपुर।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर।

विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती नीरा देवी की ओर से श्री अनमोल चौधरी का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-JS2SE12886841 (02 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर में पानी भरने के कारण शॉर्ट-सर्किट हो गया, जिस वजह से मीटर खराब हो गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर को बदलवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 03.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 23.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 23.04.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री शैलेन्द्र कुमार सैनी, उपखण्ड अधिकारी (ग्रामीण), जसपुर के तर्क सुने गये।

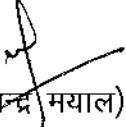
विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी (ग्रामीण) जसपुर ने अपने पत्र संख्या-242 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक खराब (No Display) हो गया था, जिसके संबंध में उनकी शिकायत का पंजीकरण (संख्या-20904250168) किया गया। विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा दिनांक 08.04.2025 को परिवादिनी के का खराब मापक बदलकर नया मापक स्थापित कर दिया गया है। परिवादिनी द्वारा

क्रमशः 2.....

अपने संयोजन का मापक बदलने पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की गई। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप मापक बदलने जाने से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।


(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 08/2025-26

दिनांक : 14.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै० जीएन पाल एण्ड सन्स केयर ऑफ श्री गोपाल सिंह,
वास्ते श्री सूर्य प्रकाश, पता-डी1डी2, ग्राउंड फ्लोर होटल अम्बर,
काशीपुर वाईपास रोड, तनिष्क ज्वैलरी, रूद्रपुर।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर-2

विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै० जीएन पाल एण्ड सन्स केयर ऑफ श्री गोपाल सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 15.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-RU0K000027735 (15 किलोवाट व्यवसायिक) का विद्युत बिल ई-मेल द्वारा प्राप्त हो जाता था लेकिन पिछले कुछ महीनों से ई-मेल पर बिल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिस कारण बिल की जानकारी के अभाव में भुगतान करने में काफी कठिनाई हो रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन के विद्युत बिल को ई-मेल पर उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रूद्रपुर-2 को अपने पत्र दिनांक 15.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 21.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.04.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मनोज जोशी, कार्यालय सहायक-2 के तर्क सुने गये।

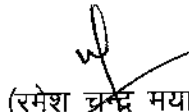
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1651 दिनांक 22.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बीजक में उनका मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी को पुनः अपडेट कर दिया गया है, जिसकी प्रति परिवादी को भी उपलब्ध करा दी गई

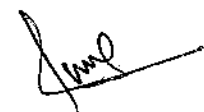
क्रमशः 2.....

है। साथ ही, मै0 पिकहिल ग्लोबल प्रा0 लि0 को निर्देशित कर दिया गया है कि वह परिवादी को ससमय विद्युत बीजक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप ऑनलाईन सिस्टम की प्रति एवं विद्युत बीजक की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 09/2025-26

दिनांक : 14.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै० जीएन पाल एण्ड सन्स केयर ऑफ श्री गोपाल सिंह,
वास्ते श्री सूर्य प्रकाश, पता-डी1डी2, ग्राउंड फ्लोर होटल अम्बर,
काशीपुर वाईपास रोड, तनिष्क ज्वैलरी, रुद्रपुर।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-2

विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै० जीएन पाल एण्ड सन्स केयर ऑफ श्री गोपाल सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 15.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या—RU0K000027543 (40 किलोवाट औद्योगिक) का विद्युत बिल ई-मेल द्वारा प्राप्त हो जाता था लेकिन पिछले कुछ महीनों से ई-मेल पर बिल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिस कारण बिल की जानकारी के अभाव में भुगतान करने में काफी कठिनाई हो रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन के विद्युत बिल को ई-मेल पर उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-2 को अपने पत्र दिनांक 15.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 21.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.04.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

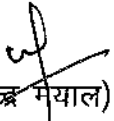
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1648 दिनांक 22.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बीजक में उनका मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी को पुनः अपडेट कर दिया गया है, जिसकी प्रति परिवादी को भी उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही, मै० पिकहिल ग्लोबल प्रा० लि० को निर्देशित कर दिया गया है कि वह परिवादी को

क्रमशः 2.....

ससमय विद्युत बीजक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप ऑनलाईन सिस्टम की प्रति एवं विद्युत बीजक की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मेहता)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 273/2024-25

दिनांक : 26.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री कमल कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार,
शंकर फार्म, किच्छा।
बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री कमल कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 01.02.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-KC9G205004899 (05 एच.पी. नलकूप) का विद्युत बिल वर्ष 2006 से गलत जारी किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा वर्ष 2006 से लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 03.02.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 10.02.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 11.02.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 11.02.2025, 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 09.04.2025, 21.04.2025 व 13.05.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

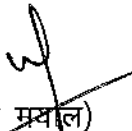
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1709 दिनांक 20.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उपरोक्त विद्युत संयोजन की बिलिंग के मामले में मंच के मौखिक निर्देशों तथा विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला के कार्यालय पत्रांक 145/ETL(R)/दिनांक 17.04.2025 के आधार पर खण्ड कार्यालय के पत्रांक संख्या-1591/वि०वि०ख०(कि०) दिनांक 09.05.2025 द्वारा जारी कार्यालय आदेश में अस्थाई रूप से विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया था,

क्रमशः 2.....

जिसमें गणीतीय त्रुटि पाये जाने के कारण बिल पुनः संशोधित कर दिया गया है। पुनः संशोधन करने के उपरांत परिवादी पर देय बिल की धनराशि रू0 33,346.31 तथा अतिरिक्त मांग/जमानत राशि रू0 24291.00 को जोड़कर कुल रू0 57,637.31 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप मीटर बदले जाने से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र, कार्यालय आदेश प्रति, कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री एवं कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मयल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 298 / 2024-25

दिनांक : 26.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री रामभजदास पुत्र श्री मुकंदीलाल,
वार्ड नं० 08, सुभाषनगर टीचर कालोनी, बाजपुर।
बनाम
अधिकासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री रामभजदास पुत्र श्री मुकंदीलाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 01.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-376M107051093 (14 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर मार्च 2024 में खराब हो गया था जिसकी शिकायत विभाग में मौखिक रूप से की गई थी। शिकायत करने 04 माह बाद माह सितम्बर 2024 में विभाग द्वारा खराब मीटर बदला गया। विभाग द्वारा मीटर बदलते समय न तो खराब मीटर की एम.आर.आई. की गई और न ही मीटर बदलने से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र दिया गया। इस सम्बन्ध में विभाग के कई चक्कर लगाये गये और खराब मीटर की एम.आर.आई. अपने सामने करने के लिए कहा गया व सीलिंग प्रमाण पत्र जारी करने का भी अनुरोध किया गया, परन्तु विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया गया। 01 माह बाद पुनः विभाग में सम्पर्क किया गया तो विभाग द्वारा बताया गया कि खराब मीटर की एम.आर.आई. कर ली गई है, मीटर सही था केवल डिस्प्ले नहीं आ रही थी। साथ ही सीलिंग प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर बदले गये पुराने मीटर की एम.आर.आई. अपने सामने कराने एवं विद्युत बिल (रु० 2,20,000.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिकासी अभियन्ता, वि०वि०ख०, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 01.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 07.03.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 25.03.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 25.03.2025, 08.04.2025, 21.04.2025 व

क्रमशः 2.....

14.05.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री विवेक काण्डपाल, अधिशासी अभियन्ता एवं सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-385 दिनांक 04.03.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि उनके द्वारा दिनांक 04.09.2024 को बाजपुर डिवीजन में 166 संयोजनों के खराब मीटरों को बदलने हेतु निर्देशित किया गया था। चूंकि परिवादी के मीटर में रीडिंग स्पष्ट दर्शित न होने के कारण माह 04/2024 के उपरांत उनका बिल नहीं बन पा रहा था। अतः उनके उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में परीक्षण खण्ड द्वारा दिनांक 21.09.2024 को परिवादी के संयोजन पर स्थापित खराब मीटर को भी बदला गया। मीटर में रीडिंग स्पष्ट न होने के कारण मीटर बदलने के उपरांत परीक्षण प्रयोगशाला में परिवादी के मीटर की एमआरआई की गई, जिसमें उक्त मीटर में अंतिम रीडिंग 205242 पाई गई, जबकि माह 03/2024 में परिवादी के मीटर में 176445 रीडिंग अंकित की गई थी। उपरोक्त आधार पर माह 09/2024 में परिवादी को माह 04/2024 से माह 09/2024 तक की अवधि का 28797 यूनिट का बिल निर्गत किया गया। परिवादी द्वारा वर्ष 2023 में माह 04/2024 से 09/2024 तक 22714 एवं वर्ष 2022 में उक्त अवधि में 28551 यूनिट की खपत की गई हैं, जिसके आधार पर माह 09/2024 में निर्गत बिल सही प्रतीत होता है। अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1243 दिनांक 19.04.2025 के द्वारा यह भी अवगत कराया कि वर्तमान में परिवादी का मापक बदलने से संबंधित सीलिंग प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप सहायक अभियन्ता (मापक) का लिखित पत्र, एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

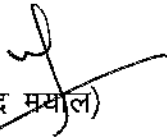
प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा माह 09/2024 में विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर में लगभग 166 संयोजनों के खराब पाए गए विद्युत मापकों को बदलने का अभियान चलाया गया। विपक्षी विभाग ने अपने जवाब दावे में बताया कि परिवादी के मापक में रीडिंग स्पष्ट दर्शित नहीं होने के कारण माह 04/2024 से बिल नहीं बन पा रहे थे, जिसे देखते हुए दिनांक 21.09.2024 को परिवादी का मापक भी इसी अभियान के तहत बदल दिया गया तथा मापक की अंतिम रीडिंग जानने हेतु टेस्ट लैब में मापक की एमआरआई करके उसकी अंतिम रीडिंग (205242) प्राप्त की गई। हालांकि, इस मंच द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद विपक्षी विभाग परिवादी का खराब मीटर बदलने से संबंधित सीलिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा, जोकि विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़े करता है। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार माह 03/2024 में परिवादी के मीटर में 176445 रीडिंग अंकित की गई थी, जिसके आधार पर विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को माह 04/2024 से माह 09/2024 तक 28797 यूनिट (205242-176445) का बिल निर्गत किया गया। परिवादी द्वारा वर्तमान शिकायत में उक्त बिल में दर्शाई गई 28797 यूनिट खपत पर आपत्ति की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध एमआरआई रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि एमआरआई रिपोर्ट में दिनांक 01.10.2024 को परिवादी के मीटर में Cumulative Energy (रीडिंग) 205242.3 केडब्ल्यूएच अंकित हुई है, जबकि दिनांक 01.04.2024 को Cumulative Energy (रीडिंग) 175071.6 केडब्ल्यूएच दर्ज हुई है। इस मंच का मानना है कि किसी भी मीटर की एमआरआई रिपोर्ट उसके तकनीकी परीक्षण के उपरांत प्राप्त होने वाला परिणाम है, जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। इसके

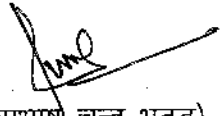
क्रमशः 3.....

अतिरिक्त विगत दो वर्षों में परिवादी की अप्रैल से सितंबर तक की विद्युत खपत भी वर्ष 2024 के समान (2023 में 22714 एवं 2022 में 28551 यूनिट) ही रही है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को प्रेषित माह 04/2024 से माह 09/2024 तक 28797 यूनिट विद्युत खपत का बिल सही प्रतीत होता है, जिस पर परिवादी की देयता बनती है। चूंकि परिवादी के पास उक्त अवधि में 28797 यूनिट विद्युत खपत पर आपत्ति करने का कोई अन्य ठोस आधार उपलब्ध नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मशाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 310/2024-25

दिनांक : 26.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री हरजिंदर सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह,
बाजावाला, पो०ओ० केलाखेड़ा, बाजपुर।
बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री हरजिंदर सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 12.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-3622202119710 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल दिनांक 23.01.2017 में लगभग ₹ 4000.00 आया था, जिसे वह मजदूरी हेतु राजस्थान जाने के कारण जमा नहीं कर पाया। बिल जमा न होने के कारण विभाग द्वारा उक्त संयोजन को काट दिया गया और मीटर भी अपने साथ ले गये। प्रार्थी वर्तमान में उक्त परिसर पर पहुंचा तो पाया कि मीटर ही नहीं है इस सम्बन्ध में वह विभागीय कार्यालय में पहुंचा तो ₹ 34599.00 का बिल भुगतान के उपरान्त ही मीटर लगाने को कहा गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर विद्युत मीटर स्थापित कराने एवं विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 12.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 22.03.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 25.03.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 25.03.2025, 08.04.2025, 21.04.2025 व 14.05.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री विवेक काण्डपाल, अधिशाली अभियन्ता तथा सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

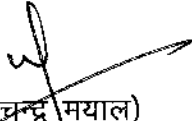
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1496 दिनांक 13.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा दिनांक 19.04.2025 को उक्त विद्युत संयोजन

क्रमशः 2.....

का स्थाई विच्छेदन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र खण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था जिसके उपरान्त विभाग द्वारा उक्त विद्युत संयोजन का स्थाई विच्छेदन कर दिया गया जिसके उपरान्त परिवादी द्वारा दिनांक 13.05.2025 को उक्त विद्युत संयोजन का शुद्ध विद्युत बकाया रू0 7661.00 का भुगतान भी कर दिया गया है। परिवादी द्वारा आवेदित नये विद्युत संयोजन का पंजीकरण कर दिया गया है जिसकी पंजीकरण संख्या-460130525001 है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर, स्थाई विच्छेदन कार्यालय ज्ञात एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 330/2024-25

दिनांक : 26.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह,
ग्राम पक्की खमरिया, लालपुर, किच्छा।
बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-KC9G205001825 (05 एच.पी. नलकूप) के विद्युत बिल का भुगतान विभाग द्वारा बतायी गई धनराशि के अनुरूप प्रतिवर्ष किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष विभाग द्वारा जो बिल प्रेषित किया गया है वह बहुत अधिक है और ब्याज भी अधिक लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठ्यांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 29.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 05.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.04.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1210 दिनांक 04.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की एम.आर.आई. करने एवं बिलिंग हिस्ट्री विवरण जांचने पर पाया गया कि परिवादी को जारी विद्युत बिल सही है। वर्तमान में परिवादी पर कुल रु० 70463.00 का बिल भुगतान हेतु लंबित है। अधिशाली

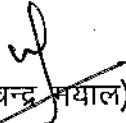
क्रमशः 2.....

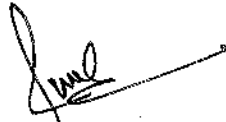
अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1577 दिनांक 08.05.2025 ने यह भी अवगत कराया कि मंच के निर्देशानुसार परिवादी को दूरभाष पर सम्पर्क कर चैक मीटर लगवाने हेतु कहा गया, परन्तु परिवादी के उक्त परिसर पर दिनांक 22.01.2023 को नया विद्युत मापक स्थापित किया गया है, जिसमें परिवादी को कोई संदेह नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल, एम.आर.आई, रिपोर्ट, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 22.01.2023 को परिवादी का आईडीएफ मीटर बदलकर नया मापक स्थापित किया गया, जिसके उपरान्त परिवादी को लगातार मीटर में अंकित रीडिंग (वास्तविक खपत) के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार माह 12/2024 में परिवादी के मीटर में 29623 केडब्ल्यूएच रीडिंग अंकित की गई, जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत एमआरआई रिपोर्ट में हो रही है। चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को उसके मीटर में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर बिल निर्गत किए गए हैं, जिस पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मथाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 326 / 2024-25

दिनांक : 26.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सिकन्दर बक्श,
इस्लामनगर, खटीमा।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री सिकन्दर बक्श का एक शिकायती पत्र दिनांक 26.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-KH2K621086644 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल पिछले 06 माह में 2-3 लाख का बनाया गया है जो कि गलत है। वह इतना अधिक बिल भरने में असमर्थ है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 26.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 05.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.04.2025, 22.04.2025 व 14.05.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक-2 के तर्क सुने गये।

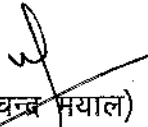
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-711 दिनांक 14.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत मापक खराब होने के कारण दिनांक 13.10.2018 से उसके बिल आई.डी.एफ. के आधार पर निर्गत हो रहे थे, परन्तु मापक में पाठयांक प्रदर्शित होने के कारण दिनांक 17.01.2024 को परिसर पर स्थापित विद्युत मापक के पाठयांक 36729 केडब्ल्यूए के आधार पर मीटर यूनिट का बिल भेजा गया। दिनांक 09.01.2024 को खराब मापक को

क्रमशः 2.....

बदलने के उपरान्त आईडीएफ में निर्गत बिलों को Healthy आईडीएफ मानते हुए उनके समायोजन हेतु मीटर खराब होने की तिथि 13.10.2018 से दिनांक 18.03.2025 तक मैनुअली संशोधन करने पर लेजर राशि रू0 2,54,973.00 में अवास्तविक राशि रू0 2,61,056.00 समायोजित कर रू0 (-) 6083.05 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 02/2025-26

दिनांक : 26.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री गुरनाम सिंह गिल,
ग्राम बन्नाखेड़ा, बाजपुर।
बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री गुरनाम सिंह गिल का एक शिकायती पत्र दिनांक 02.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-369BN22000520 (3.73 किलोवाट नलकूप) के विद्युत बिल रू० 36602.00 का भुगतान बैंक द्वारा पिछले वर्ष दिनांक 28.03.2024 को कर दिया गया था फिर भी विभाग द्वारा उसी धनराशि को जोड़कर बिल प्रेषित किया गया है जिसमें ब्याज भी जोड़ा गया है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में सम्पर्क किया गया तो कोई स्पष्टीकरण व संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। साथ ही उनके बेटे के नाम पर भी एक घरेलू विद्युत संयोजन है जिनका भुगतान वह नियमित रूप से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक कोई भी बिल नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए विद्युत बिल (रू० 86074.00) को संशोधित कराने व सम्बन्धित कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्यवाही कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 02.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 21.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 21.04.2025 व 14.05.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री विवेक काण्डपाल, अधिशाली अभियन्ता एवं सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

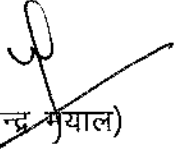
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1464 दिनांक 07.05.2025 के

क्रमशः 2.....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक दिनांक 06.03.2023 को बदला गया था जिसके उपरान्त परिवादी को आईडीएफ के आधार पर बिल प्रेषित किये जा रहे थे। विद्युत मापक बदलने से वर्तमान तक परिवादी के विद्युत मापक की जांचोपरांत पाया गया कि परिवादी के विद्युत मापक में कुल 12469 रीडिंग दर्ज है जिसका सीलिंग प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही परिवादी के विद्युत बिल को परिसर पर स्थापित विद्युत मापक की वर्तमान रीडिंग के अनुसार रू0 75,857.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित विद्युत बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मथाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 06/2025-26

दिनांक : 26.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री विजय भूषण गर्ग वास्ते श्री सुनिल क्षेत्री,
वरिष्ठ कार्यकारी हब संचालन सिटी लॉजिस्टिक्स, रुद्रपुर।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-1

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री विजय भूषण गर्ग की ओर से श्री सुनिल क्षेत्री (वरिष्ठ कार्यकारी) का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-890K000211359 (08 किलोवाट व्यवसायिक) जो श्री विजय भूषण गर्ग के नाम दर्ज है। जिस परिसर में उक्त संयोजन स्थापित है वहां किराये पर प्लपकार्ट कार्यालय चलाया जा रहा है। मीटर रीडर द्वारा पिछले 04-05 महीने से विद्युत बिल उपलब्ध नहीं कराया गया है जिस कारण उक्त संयोजन के बिल का भुगतान नहीं हो पाया। विद्युत बिल भुगतान न होने की वजह से विभाग द्वारा उक्त संयोजन को दिनांक 30.03.2025 को काट दिया गया है। उक्त संयोजन के विद्युत बिल का भुगतान दिनांक 02.04.2025 को करा दिया गया है फिर भी विभाग द्वारा उक्त संयोजन ऊर्जीकृत नहीं किया गया है। जिस कारण मजबूरन जनरेटर का उपयोग किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन के विद्युत बिल को समयानुसार उपलब्ध कराने एवं उक्त संयोजन को ऊर्जीकृत कराने की प्रार्थना की है।

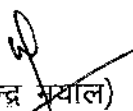
उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-1 को अपने पत्र दिनांक 04.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 23.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 23.04.2025 व 13.05.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

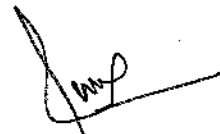
क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1856 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के माह 02/2025 के विद्युत बीजक रू0 17870.00 का भुगतान लम्बित होने पर उनका संयोजन दिनांक 30.03.2025 को अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया था। परिवादी द्वारा दिनांक 02.04.2025 को ऑनलाईन भुगतान कर दिया गया, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही उनका संयोजन पुनः ऊर्जीकृत कर दिया गया। परिवादी को माह 03/2025 का विद्युत बिल रू0 4678.00 प्रेषित किया गया, जिसका भुगतान भी परिवादी द्वारा दिनांक 16.04.2025 को कर दिया गया है। वर्तमान में परिवादी का माह 04/2025 का विद्युत बिल रू0 9022.00 प्रेषित किया गया है, जो भुगतान हेतु लम्बित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल एवं कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र भट्टाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 10/2025-26

दिनांक : 26.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दीपक चन्द्र पुत्र श्री विजय चन्द्र,
साई विहार कालोनी, रुद्रपुर।
बनाम
अधिकासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-1

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री दीपक चन्द्र पुत्र श्री विजय चन्द्र का एक शिकायती पत्र दिनांक 15.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-8922306543531 (02 किलोवाट घरेलू) का मार्च 2025 का बिल गलत जारी किया गया है जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा कई बार ऑनलाईन एवं ऑफलाईन शिकायत भी की गई है लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उनके मीटर में दर्ज रीडिंग 313 है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठ्यांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिकासी अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-1 को अपने पत्र दिनांक 15.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 21.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 23.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 23.04.2025 व 13.05.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

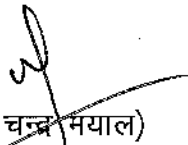
विपक्षी विभाग के अधिकासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1826 दिनांक 07.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी परिसर पर दिनांक 15.01.2025 को सोलर मापक संख्या-17755109 स्थापित किया गया। माह जनवरी 2025 का विद्युत बीजक त्रुटिवश आरडीएफ में निर्गत हुआ था, जिसे मापक की रीडिंग के अनुसार रु० 377.65 कम करते हुए संशोधित बिल बना

क्रमशः 2.....

दिया गया है। परिवादी के सोलर मापक में वर्तमान में Import & Export रीडिंग सही पायी गयी है। माह 04/2025 में परिवादी को रू0 (-) 1200.34 का बिल प्रेषित कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मथाल)
न्यायाधीश सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 316/2024-25

दिनांक : 27.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सतनाम सिंह पुत्र स्व० श्री लाल सिंह,
ग्राम रघुललिया, पो०-सरपुड़ा बग्घा, खटीमा।
बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री सतनाम सिंह पुत्र स्व० श्री लाल सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 18.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके स्वर्गीय पिता श्री लाल सिंह पुत्र स्व० श्री तारा सिंह के नाम पर विद्युत संयोजन संख्या--KH9N240151359 (05 एच.पी. नलकूप) चला आ रहा है। विभाग द्वारा कई वर्षों से उक्त संयोजन का गलत बिल जारी किया जा रहा है। वह अपने बिल का भुगतान हर साल करते आ रहे हैं फिर भी बिल अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 18.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 22.03.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.03.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.03.2025, 08.04.2025 व 22.04.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक-2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-630 दिनांक 19.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी को उसके संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर के पाठयांक के आधार पर बिल निर्गत किए जा रहे हैं। परिवादी के मीटर की एम.आर.आई. की गई जिसमें मीटर में दर्ज पाठयांक सही पाया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य

क्रमशः 2.....

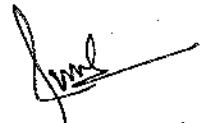
स्वरूप एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार मीटर में अंकित खपत के बिल निर्गत किए जा रहे थे, जबकि परिवादी के दो अंतिम बिल एमआरआई के आधार पर निर्गत किए गए हैं। कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री में अंकित परिवादी के मीटर की रीडिंग का पत्रावली पर उपलब्ध एमआरआई रिपोर्ट से मिलान करने पर उनमें समानता दिखाई पड़ती है, जिससे परिवादी के बिल सही प्रतीत होते हैं। चूंकि मीटर में अंकित वास्तविक खपत एवं एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर प्रेषित बिलों पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है। परिवादी को यदि अपने संयोजन पर स्थापित मीटर पर संदेह है, तो वह विभागीय नियमानुसार अपने मीटर का परीक्षण करवा सकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मयस) ~~तकनीकी सदस्य~~


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 13/2025-26

दिनांक : 27.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री रामेश्वर दयाल पुत्र स्व० श्री उत्तम चन्द्र,
वार्ड नं० 06, नहरपार, सितारगंज।
बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री रामेश्वर दयाल पुत्र स्व० श्री उत्तम चन्द्र का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-882H136121434 (01 किलोवाट घरेलू) पर लगा विद्युत मीटर 04 वर्ष पूर्व खराब हो गया था जिसे विभाग द्वारा बदल दिया गया था। मीटर बदले जाने के बाद भी विभाग द्वारा आईडीएफ के बिल प्रेषित किए जा रहे हैं जो उनकी खपत से बहुत अधिक है। उनका टीन सेट का मकान है जिसमें पंखा और बल्ब ही लगा हुआ है। विभागीय कार्यालय में कई बार शिकायत की गई, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपना विद्युत बिल (रु० 103243.00) विद्युत मीटर के वास्तविक पाठ्यांक के आधार पर संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 17.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 28.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 14.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 14.05.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1300 दिनांक 08.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत बीजक दिनांक 06.08.2018 के पश्चात IDF/NA में निर्गत हुआ है। परिवादी परिसर पर स्थापित खराब (IDF) मापक दिनांक 16.03.2019 को परिवर्तित कर दिया गया था, परन्तु विभाग के बिलिंग पोर्टल में मीटर परिवर्तन की सीलिंग को

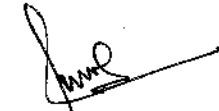
क्रमशः 2.....

दिनांक 01.01.2023 को अपडेट किया गया, जिससे परिवादी को त्रुटिपूर्ण बिल निर्गत किए जा रहे थे। वर्तमान में मापक परिवर्तन के पश्चात् विद्युत मापक में दर्ज वास्तविक पाठयांक 6655 केडब्ल्यूएच के आधार पर परिवादी का विद्युत बिल संशोधित कर रू0 7487.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र भट्टाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 14/2025-26

दिनांक : 27.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री तिलक जोशी पुत्र श्री शंकर दत्त,
विडौरा, नानकमत्ता, सितारगंज।
बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री तिलक जोशी पुत्र श्री शंकर दत्त का एक शिकायती पत्र दिनांक 21.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-882M408188116 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल आरडीएफ के आधार पर अधिक रीडिंग दर्ज करते हुए जारी किए जा रहे हैं, जबकि उनकी विद्युत खपत बहुत कम है। उन्होंने आरडीएफ बिलों का भुगतान समय-समय पर ऑनलाईन माध्यम से किया है। उन्हें विभाग द्वारा पिछले 13 माह से आरडीएफ के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध विभागीय कार्यालय में भी शिकायत की गई, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने आर. डी.एफ. विद्युत बिल (रु० 11985.00) को विद्युत मीटर के वास्तविक पाठ्यांक के आधार पर संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 21.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 14.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 14.05.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

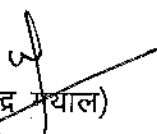
विपक्षी विभाग की ओर उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) ने अपने पत्र संख्या-195 दिनांक 13.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक रिवर्स होने के कारण परिवादी को आरडीएफ के आधार पर बिल प्रेषित हो रहे थे। परिवादी के विद्युत

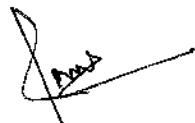
क्रमशः 2.....

मापक को खराब मानते हुए दिनांक 13.05.2025 को बदल दिया गया है। साथ ही परिवादी के विद्युत बीजक को औसत खपत के आधार पर संशोधित कर रू0 1856.56 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप मापक बदलने जाने से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र, संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मथाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 15/2025-26

दिनांक : 27.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती शकुन नेगी वास्ते श्री नविंदर सिंह नेगी,
शिमला पिस्तौर, लालपुर, किच्छा।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती शकुन नेगी की ओर से श्री नविंदर सिंह नेगी का एक शिकायती पत्र दिनांक 21.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-KC1F127307109 (04 किलोवाट घरेलू) के खाते में ASD राशि रु० 2110.00 दर्शाया जा रहा है इसका क्या कारण है। उनके द्वारा 12 जनवरी 2025 को मीटर जांच के लिए शिकायत की गयी थी, क्योंकि उनका मीटर तेज चल रहा था जिस कारण बिल भी अधिक आ रहा था। उनके द्वारा पिछले बिल भुगतान में अतिरिक्त ASD राशि का भुगतान भी किया गया है। वह भविष्य में अतिरिक्त ASD राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर प्रदर्शित ASD अतिरिक्त राशि को हटाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 21.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 13.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 13.05.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1476 दिनांक 30.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि पूर्व में परिवादिनी के माह 10/2024 व 11/2024 का बिल गलत रीडिंग के आधार पर बना दिया गया था। एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी द्वारा माह

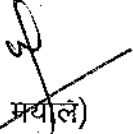
क्रमशः 2.....

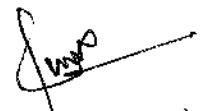
10/2024 में 803 यूनिट एवं 11/2024 में 380 यूनिट की खपत की गई है, जिसके आधार पर उनके माह 10/2024 तथा 11/2024 के विद्युत बीजकों में संशोधन करते हुए रु0 654.00 का समायोजन दे दिया गया है। परिवादिनी के वर्तमान बिल एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार सही हैं। परिवादिनी के विद्युत बीजक में ASD Required की गणना माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम 2020 के अध्याय-4 के बिन्दु-4.2 के अनुसार की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की त्रुटिपूर्ण बिल संबंधी शिकायत का समाधान संशोधित कर दिया गया है। परिवादिनी के बिल में अतिरिक्त जमानत राशि (ASD Required) की गणना विभागीय नियमानुसार की गई है, जिस पर परिवादिनी की देयता बनती है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। यह परिवाद उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र प्रयाग)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 16/2025-26

दिनांक : 27.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री तिरमल पुत्र स्व० श्री हरकेस सिंह,
ग्राम मण्डुआखेड़ा, जसपुर।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर।

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री तिरमल पुत्र स्व० श्री हरकेस सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 21.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-JS2H454134596 (01 किलोवाट घरेलू) जो उनकी पत्नी श्रीमती शान्ति के नाम दर्ज है जिनका निधन हो चुका है। वह अपने सम्पूर्ण विद्युत बिल का भुगतान करने हेतु विभागीय कार्यालय में गया तो विभाग द्वारा ₹0 34000.00 का बिल बताया गया, जबकि वह बहुत छोटे मकान में रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ज्यादा नहीं है। मीटर रीडर से सम्पर्क करने पर पता चला कि मीटर बैक हो गया है जिस कारण आर.डी.एफ. के बिल अधिक रीडिंग में जारी हो रहे हैं। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर विद्युत मीटर को बदलवाने एवं विद्युत बिल (₹0 34142.00) को संशोधित कराने प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 21.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.05.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सददाम अली, उपखण्ड अधिकारी, जसपुर-प्रथम के तर्क सुने गये।

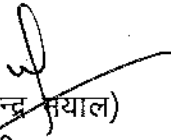
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-497 दिनांक 30.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत मीटर बैक होने के कारण आर.डी.एफ. में विद्युत बिल निर्गत हो रहे थे। परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर को खराब (आईडीएफ)

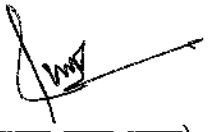
क्रमशः 2.....

मानते हुए परिवादी का विद्युत मीटर दिनांक 02.05.2025 को बदल दिया गया। साथ ही, परिवादी को जारी आरडीएफ बिलों को पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत खपत के आधार पर संशोधित करते हुए ₹0 10,332.00 का बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप मीटर बदले जाने से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र एवं कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र तयाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 17/2025-26

दिनांक : 27.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सौम्य गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण अवतार गुप्ता,
म०न० 344, डायनेमिक गार्डन सिटी, रुद्रपुर।
बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-1

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री सौम्य गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण अवतार गुप्ता का एक शिकायती पत्र दिनांक 22.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-892A906874586 (03 किलोवाट घरेलू) जिस कालोनी व परिसर में स्थापित है वहां आधी कालोनी में लाईट आती है और आधी कालोनी में नहीं आती है। पिछले कुछ महीनों से यह समस्या लगातार बनी हुई है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त कालोनी परिसर की समस्या को जल्द से जल्द सही कराने प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-1 को अपने पत्र दिनांक 23.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 13.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 13.05.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1824 दिनांक 07.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि दिनांक 21.04.2025 की रात को Supply Disturbed होने के कारण परिवादी के उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मापक की लाईन से सम्बन्धित ट्रांसफार्मर की केबिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे दिनांक 22.04.2025 की सुबह सही कर दिया गया था। वर्तमान में सम्बन्धित क्षेत्र में विद्युत सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के

क्रमशः 2.....

साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मथाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 18/2025-26

दिनांक : 27.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दीवान सिंह,
वास्ते श्री विरेन्द्र सिंह विष्ट, देवनगर शक्तिफार्म, सितारगंज।
बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दीवान सिंह की ओर से श्री विरेन्द्र सिंह विष्ट का एक शिकायती पत्र दिनांक 26.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-881J243180185 (01 किलोवाट घरेलू) जिस परिसर पर स्थापित है वहां पिछले 4-5 दिनों से लगातार लो-वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। इन्वर्टर पर 176 से 181 वोल्टेज की दर्शित हो रहे हैं जो न्यूनतम 220 वोल्टेज से भी कम है। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं चल पा रहा है। इस सम्बन्ध में ऑनलाईन शिकायत भी की गई, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर में बनी लो-वोल्टेज की समस्या को जल्द से जल्द ठीक कराने प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 26.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 08.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 14.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 14.05.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही जबकि विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1299 दिनांक 08.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर लो-वोल्टेज की समस्या का निवारण कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि परिवादिनी द्वारा ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से भी की जा चुकी है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप परिवादिनी के संतुष्टि पत्र

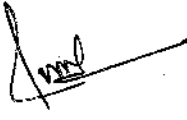
क्रमशः 2.....

(ई-मेल) की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।


(रमेश चन्द्र मेयाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 20/2025-26

दिनांक : 27.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुदर्शन शर्मा पुत्र श्री बलवीर सहाय शर्मा,
वार्ड नं० 02, आजाद नगर, ट्रॉजिट कैम्प, रुद्रपुर।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-1.

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री सुदर्शन शर्मा पुत्र श्री बलवीर सहाय शर्मा का एक शिकायती पत्र दिनांक 28.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-8928216185378 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल गलत मीटर रीडिंग के आधार पर बना गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल (रु० 6011.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-1 को अपने पत्र दिनांक 28.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 08.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 13.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 13.05.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1825 दिनांक 07.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का माह 04/2025 (दिनांक 23.04.2025 तक) का विद्युत बीजक (रु० 6011.00) बिलिंग एजेंसी द्वारा रिकार्ड की गई त्रुटिपूर्ण Present Reading 1366 KWH पर बनाकर निर्गत हो गया था, जिसे जांचोपरांत वास्तविक Present Reading 366 KWH के आधार पर संशोधित कर रु० 1456.00 का बना दिया गया है। परिवादी द्वारा दिनांक 04.05.2025 को

क्रमशः 2.....

संशोधित बिल का भुगतान कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र भट्टाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 22/2025-26

दिनांक : 27.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती माला पाण्डे पत्नी श्री अरविन्द कुमार पाण्डे,
ग्राम किरतपुर, रुद्रपुर।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-2

विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती माला पाण्डे पत्नी श्री अरविन्द कुमार पाण्डे का एक शिकायती पत्र दिनांक 30.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या—RU1K301198663 (04 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर की सप्लाई जिस पोल से आ रही है उस पोल में बार-बार खराबी आती रहती है। दिनांक 05.04.2025 को भी पोल में खराबी आ गई थी, जिसे विभाग द्वारा अस्थायी रूप से सही कर दिया गया, परन्तु इसके उपरांत दिनांक 29.04.2025 भी फिर वही समस्या उत्पन्न हो गई। पोल पर केबिल बॉक्स न होने के कारण थोड़ी तेज हवा चलने पर ही विद्युत समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस सम्बन्ध में कई बार विभाग से पोल पर केबिल बॉक्स लगवाने की शिकायत की गई, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन की विद्युत सप्लाई को स्थायी रूप से सही कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-2 को अपने पत्र दिनांक 30.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 09.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 13.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 13.05.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

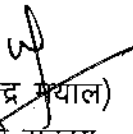
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—1857 दिनांक 13.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी की विद्युत लाईन से सम्बन्धित इस शिकायत का

क्रमशः 2.....

निवारण कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने लिखित जवाब की प्रति भी प्रस्तुत की गई। परिवादिनी द्वारा दिनांक 08.05.2025 को ई-मेल के माध्यम से इ समंच को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा विद्युत विभाग से उक्त समस्या के संबन्ध में एक सामान्य शिकायत की गई थी, जिसे वह कानूनी विवाद नहीं बनाना चाहती है। उनको उम्मीद है कि विद्युत विभाग उनकी उक्त समस्या का समाधान कर लेगा। चूंकि परिवादिनी अपनी शिकायत के संबन्ध में कोई कानूनी वाद नहीं चाहती है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।


(रमेश चन्द्र भट्टाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 262/2024-25

दिनांक : 28.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै० वैष्णवी फूड प्रोडक्ट्स,
ग्राम पीपलिया, बाजपुर।

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै० वैष्णवी फूड प्रोडक्ट्स की ओर से श्री डॉ० गोविन्द सिंह लटवाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 27.01.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनका प्रतिष्ठान एक मौसमी उद्योग है, जोकि Frozen Pea, Frozen Maize एवं अन्य सब्जी आधारित खाद्य उत्पादों का उत्पादन करता है। उनके द्वारा अपने विद्युत संयोजन संख्या-360K000022379 (500 केवीए, मौसमी उद्योग) के दिनांक 29.06.2024 तक के बिलों का पूर्ण भुगतान किया गया है, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा माह 05/2024 (ऑफ सीजन) का बिल रू० 281716.32 का दिया गया है, जबकि 05/2023 में उनका रू० 237072.18 का बिल आया था। विभाग द्वारा फिक्स्ड डिमांड की त्रुटिपूर्ण गणना किए जाने के कारण उनके 06 माह के ऑफ सीजन के बिल में अत्यधिक वृद्धि हो गई। उनके द्वारा दिनांक 01.08.2024 को विद्युत विभाग से उक्त त्रुटिपूर्ण बिल को संशोधित करने हेतु लिखित अनुरोध किया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मौसमी उद्योग होने के कारण पीक और नाममात्र उपयोग की अवधि में उनके प्रतिष्ठान के विद्युत भार में अत्यधिक अंतर रहता है। उनके द्वारा अपने Peak Load को Nominal Load में बदलने हेतु विद्युत विभाग को प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में नियमित रूप से सूचित किया जाता है। वर्ष 2024 की ऑफ सीजन अवधि में उनके प्रतिष्ठान में उत्पादन प्रक्रिया बंद रही तथा केवल रात्रि के समय सुरक्षा की दृष्टिगत स्ट्रीट लाईट ही जलाई गई। वर्ष 2024 की ऑफ सीजन अवधि के लिए Peak Load को Nominal Load में बदलने हेतु ससमय आवेदन किए जाने के बावजूद विद्युत विभाग द्वारा उनके ऑफ सीजन के बिलों में Peak Load सीजन वाले फिक्स्ड/डिमांड चार्जज लगाए गए

क्रमशः 2.....

हैं, जबकि ऑफ सीजन में उनकी विद्युत खपत Peak Load सीजन की तुलना में काफी कम रहती है। वर्ष 2022 से 2024 तक के बिलिंग विवरण से उनके प्रतिष्ठान की विद्युत खपत एवं बिलिंग पैटर्न साफ दिखाई पड़ता है, जबकि वर्ष 2023 के ऑफ सीजन अवधि की तुलना में वर्ष 2024 के आफ सीजन में माह 05/2024, 06/2024, 07/2024 08/2024 के बिलों में फिक्सड डिमांड/चार्ज के रूप में अत्यधिक धनराशि जोड़ी गई है।

सामान्य तौर पर उनके प्रतिष्ठान में 01 जनवरी से नार्मल सीजन प्रारंभ होता है तथा मार्च में समाप्त हो जाता है, परन्तु विगत वर्ष उनको अप्रैल 2024 में भी 10 दिन प्लांट चलाना पड़ा था। अतः उनके द्वारा विद्युत विभाग से 30 अप्रैल 2024 तक नार्मल सीजन खुला रखने तथा ऑफ सीजन लोड 01 मई से 31 दिसंबर तक रखने का लिखित अनुरोध किया गया था। सामान्य तौर पर ऑफ सीजन में उनके बिल में फिक्सड/डिमांड चार्ज रु० 43875.00 के आसपास रहते हैं, परन्तु इस वर्ष के प्राप्त बिलों उक्त चार्ज काफी अधिक लगाए गए हैं। उनके द्वारा विभाग से बिल संशोधित करने का अनुरोध किया गया, परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं की गई तथा उनको सूचना दिए बगैर उनका संयोजन भी काट दिया गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से विद्युत मीटर में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर अपने त्रुटिपूर्ण बिल को संशोधित कराने एवं उनकी विद्युत आपूर्ति बहाल करवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि०वि०ख०, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 27.01.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 05.02.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.02.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.02.2025, 25.02.2025, 11.03.2025, 25.03.2025, 08.04.2025, 22.04.2025 व 14.05.2025 को परिवादी प्रतिनिधि श्री ललित भट्ट के तथा विपक्षी की ओर से श्री विवेक काण्डपाल, अधिशासी अभियन्ता एवं सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2025, 25.02.2025, 11.03.2025 एवं 25.03.2025 को हुई सुनवाई के दौरान अपना जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय देने की मांग की गई, जिसके उपरांत विपक्षी द्वारा दिनांक 08.04.2025 को अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या--1178 दिनांक 07.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा दिनांक 28.03.2024 को अपने पत्र के माध्यम से ऑफ सीजन हेतु अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में उनके द्वारा दिनांक 30.04.2024 द्वारा Office Memorandum जारी किया गया। माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी Tariff Order no. 2149 RTS-5 HT Industry Clouse No 4 & (i) to (iv) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल माह में परिवादी की ऑफ सीजन अवधि की Maximum Demand, Allowable Maximum Demand से अधिक होने के कारण परिवादी को अपेक्षित ऑफ सीजन का लाभ नहीं दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप एम.आर.आई. रिपोर्ट, विद्युत बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

क्रमशः 3.....

समीक्षा

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी प्रतिष्ठान के प्रश्नगत बिल में विपक्षी विभाग द्वारा एनर्जी चार्ज की गणना मीटर में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर ही की गई है, परन्तु फिक्स्ड डिमांड चार्ज की गणना करते समय परिवादी को ऑफ सीजन में मिलने वाली छूट का लाभ नहीं दिया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब दावे में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल माह में परिवादी की ऑफ सीजन अवधि की Maximum Demand, Allowable Maximum Demand से अधिक रही है, जिसके कारण परिवादी को अपेक्षित ऑफ सीजन का लाभ नहीं दिया गया। विपक्षी विभाग के इस तर्क की सत्यता का परीक्षण करने के लिए यहां पर मौसमी उद्योग (Seasonal Industry) के सम्बन्ध में माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2024 को जारी Tariff Order (FY 2022-23 to FY 2024-25) के अध्याय-9 (Rate Schedule) में वर्णित Tariffs. B/RTS-5 LT and HT Industry के बिन्दु संख्या-4 का उल्लेख करना आवश्यक है जो कि निम्नवत है:-

"4- Seasonal Industries.

Where a consumer having load in excess of 18 KW (25 BPH) and ToD meter and avails supply of energy for declared Seasonal industries during certain seasons or limited period in the year, and his plant is regularly closed down during certain months of the financial year, he may be levied for the months during which the plant is shut down (which period shall be referred to as off-season period) as follows:

(i) The tariff for 'Season' period shall be same as "Rate of Charge" as given in this schedule.

(ii) Where actual demand in 'Off Season' Period is not more than 30% of contracted load, the energy charges for "Off-Season" period shall be same as energy charges for "Season" period given in Rate of Schedule above. However, the contracted demand in the "Off Season" period shall be reduced to 30%.

(iii) During 'Off-Season' period, the maximum allowable demand will be 30% of the contracted demand and the consumers whose actual demand exceeds 30% of the contracted demand in any month of the 'Off Season' will be denied the above benefit of reduced contracted demand during that season. In addition, a surcharge at the rate of 10% the demand charge shall be payable for the entire 'Off-Season' period.

Terms and Conditions for Seasonal Industries:

- (i) The period of operation should not be more than 9 months in a financial year.
- (ii) Where period of operation is more than 4 months in a financial year, such industry should operate for at least consecutive 4 months.
- (iii) The seasonal period once notified cannot be reduced during the year. The off-

क्रमशः 4.....

season tariff is not applicable to composite units having seasonal and other categories of loads.

(iv) Industries in addition to sugar, ice, rice mill, frozen foods and tea shall be notified by Licensee only after prior approval of the Commission."

उपरोक्त विनियम के आलोक में इस प्रकरण के प्रथम दृष्टया तथ्यों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि परिवारी प्रतिष्ठान के 500 केवीए क्षमता के संयोजन की Contracted Demand 500 केवीए है। अतः उपरोक्त विनियम के अनुसार ऑफ सीजन Benefit का लाभ लेने के लिए उनकी Allowable Maximum Demand 150 केवीए (30 % of Contracted Demand) होती है, जबकि अप्रैल 2024 के बिल में उनकी Maximum Demand 455.76 केवीए आई है, जोकि उनकी Allowable Maximum Demand (150 केवीए) से काफी अधिक है। इस दृष्टि से विपक्षी विभाग का यह तर्क सही प्रतीत होता है कि अप्रैल 2024 में उनकी Maximum Demand, Allowable Maximum Demand से अधिक होने के कारण परिवारी को ऑफ सीजन Benefits का अपेक्षित लाभ नहीं दिया गया, परन्तु अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किन-किन महीनों को ऑफ सीजन के तौर पर निर्धारित किया गया था। इसके संदर्भ में इस मंच ने परिवारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऑफ सीजन के निर्धारण हेतु विपक्षी विभाग से किए गए अनुरोध एवं विपक्षी विभाग द्वारा इस संबंध में जारी Office Memorandum का भी सम्यक अध्ययन किया। परिवारी द्वारा दिनांक 28.03.2024 को अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर के समक्ष प्रस्तुत अपने लिखित अनुरोध पत्र में कहा गया है कि, "As our frozen peas unit is seasonal in nature. Our peak season electricity consumption remain since 1 Jan 2024 to 30 April. Our present sanctioned load is 500 KVA. We therefore request you to kindly keep our off-season load for the period 1st May 2024 to 31 Dec 2024." परिवारी के इस अनुरोध पर कार्यवाही करते हुए विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता, बाजपुर द्वारा पत्रांक संख्या-1060 दिनांक 30.04.2024 द्वारा Office Memorandum जारी किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि, "In terms of UERC Tariff order no. 2149 RTS-5-HT Industry clause no-4 & (i) to (iv) and the letter no. Nil dated 28-03-2024 of M/s Vaishnavi Food Products, Sultapur Patti, Bazpur received in the office on dated Nil seeking there in seasonal benefits against their KNO-22379, 500 KVA process Frozen Food Sanction is hereby accorded to treat season and off season period as declared by the consumer as per following details & accordingly seasonal benefit shall be given to him during off season period of financial year 2024-25 when his plant is closed down regularly.

1. OFF- Season period	01.05.2024	To	31.12.2024
2. Season period	01.01.2025	To	31.03.2025...."

परिवारी के उपरोक्त अनुरोध पत्र एवं विपक्षी विभाग के उपरोक्त Office Memorandum के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि परिवारी द्वारा विपक्षी विभाग से उनके प्रतिष्ठान के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 01 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक ऑफ सीजन अवधि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया तथा विपक्षी विभाग द्वारा भी अपने Office Memorandum के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवारी प्रतिष्ठान के लिए 01 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक

क्रमशः 5.....

ऑफ सीजन अवधि का निर्धारण किया गया। हालांकि विपक्षी विभाग के Office Memorandum में माह अप्रैल 2024 के Status के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा अपने Office Memorandum के माध्यम से परिवादी प्रतिष्ठान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 01 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक ऑफ सीजन अवधि का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार माह अप्रैल 2024 उक्त निर्धारित ऑफ सीजन अवधि का भाग नहीं है। अतः माह अप्रैल 2024 में परिवादी के मीटर में अंकित Maximum Demand (455.76 केवीए) को ऑफ सीजन (01 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024) की Maximum Allowable Demand की गणना का आधार नहीं बनाया जा सकता है, परन्तु विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को Maximum Allowable Demand की इस त्रुटिपूर्ण गणना के आधार पर न सिर्फ ऑफ सीजन के अपेक्षित benefits से वंचित रखा गया, बल्कि उपरोक्त विनियम-4(iii) का हवाला देते हुए उस पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज भी थोप दिया गया, जोकि गलत एवं नियमविरुद्ध है। अतः इस मंच का मानना है कि विपक्षी विभाग द्वारा ऑफ सीजन में Maximum Allowable Demand की इस त्रुटिपूर्ण गणना के आधार पर परिवादी को प्रेषित समस्त बिल निरस्त किए जाने योग्य हैं।

इस मंच का यह भी मत है कि चूंकि परिवादी प्रतिष्ठान के संयोजन का अनुबन्धित विद्युत भार 500 केवीए है तथा माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी UERC Tariff Order no. 2149 RTS-5 HT Industry Clause No 4 & (iii) के अनुसार परिवादी प्रतिष्ठान के लिए ऑफ सीजन अवधि में Maximum Allowable Demand 150 केवीए (30% of contracted demand) होगी। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार ऑफ सीजन अवधि (01 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक) में किसी भी महीने परिवादी प्रतिष्ठान की Maximum demand, 150 KVA (Allowable Demand) से अधिक नहीं रही है। अतः परिवादी प्रतिष्ठान को पूरे ऑफ सीजन अवधि के बिलों में UERC Tariff Order no. 2149 RTS-5 HT Industry Clause No 4 & (ii) के अनुसार Off Season benefits का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को प्रेषित 01.05.2024 से 31.12.2024 तक के समस्त बिल निरस्त किए जाते हैं। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी प्रतिष्ठान को ऑफ सीजन अवधि में उपरोक्तानुसार Off Season benefits का लाभ देते हुए संशोधित बिल बनाकर तत्काल उसे प्रेषित करें। विपक्षी विभाग 30 दिन के भीतर इस आदेश की अनुपालन आख्या इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

(रमेश चन्द्र तयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 303/2024-25

दिनांक : 28.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै० श्री भोले बाबा ग्रेन एजेंसी वास्ते श्री सागर अरोरा,
विजय नगर स्टेडियम, काशीपुर।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै० श्री भोले बाबा ग्रेन एजेंसी की ओर से श्री सागर अरोरा पुत्र स्व० श्री तेज प्रकाश अरोरा का एक शिकायती पत्र दिनांक 07.03.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-370K000098906 (65 किलोवाट औद्योगिक) जो उनके राईस मिल अलीगंज रोड, फसियापुर, काशीपुर में स्थापित था। उक्त संयोजन को लेते समय उनके द्वारा संयोजन से सम्बन्धित विद्युत पोल, लाईन चार्ज, तार, 100 केवीए ट्रांसफार्मर आदि अन्य उपकरण खरीदने का खर्च स्वयं व्यय किया गया था। उक्त संयोजन को दिनांक 29.12.2023 को स्थाई रूप से विच्छेदित करा दिया गया है जिसके उपरांत विभाग द्वारा विद्युत मीटर, क्यूबीकल, पोल, इन्सुलेटर, पिन, वायर व ट्रांसफार्मर भी उखाड़ कर ले गये हैं ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा उनको बाजार मूल्य के अनुसार उक्त सामग्री की कीमत वापस दी जानी चाहिए थी, परन्तु विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन के स्थाई विच्छेदन के उपरांत विभाग द्वारा जब्त की गई सामग्री की कीमत उनको वापस दिलाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 07.03.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.03.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 25.03.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 25.03.2025, 08.04.2025, 21.04.2025 व 15.05.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक

क्रमशः 2.....

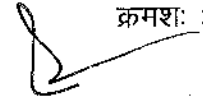
अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1684 दिनांक 07.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा विभाग में 65 किलोवाट का विद्युत संयोजन लिये जाने हेतु दिनांक 25.10.2022 को आवेदन किया गया था। जिसके उपरांत विभागीय नियमानुसार परिवादी को नये विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने हेतु माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून द्वारा पारित UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulation, 2020 के बिन्दु संख्या-3.3.2 (Application for new LT Connection) के टेबल 3.6 (Service Line Charges, Charges for construction of Overhead/Underground 11 KV line, Substation and Initial security for load above 25 KW and upto 75 KW) के अनुसार ₹0 3,63,500.00 जमा किये जाने हेतु डिमाण्ड नोट जारी किया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 29.11.2022 को खण्ड कार्यालय में उक्त धनराशि जमा की गई, जिसके उपरांत परिवादी को नियमानुसार विद्युत संयोजन संख्या-370K000098906 निर्गत किया गया।

इसके उपरांत परिवादी द्वारा अपने संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित करने हेतु खण्ड कार्यालय में आवेदन किया गया, जिसके क्रम में परिवादी के संयोजन को सप्लाय कोड के पैरा नं० 6.2 (Permanent Disconnection on Consumer's request) के अनुसार संयोजन विच्छेदित कर जमानत की राशि ₹0 97,500.00 में से अन्तिम बिल ₹0 29031.00 को समायोजित करते हुए शेष जमानत राशि ₹0 68,469.00 दिनांक 24.10.2024 को चैक द्वारा परिवादी को वापस करने के आदेश पारित किए गए। विद्युत संयोजन के स्थाई विच्छेदन के उपरांत उपभोक्ता को जमा धरोहर राशि के अतिरिक्त प्रांकलन की राशि वापस किए जाने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप नये संयोजन से सम्बन्धित डिमाण्ड नोट, पी.डी. से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र, माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून द्वारा जारी उपरोक्त नियमों की प्रतियां एवं कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

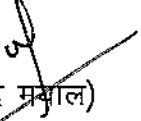
प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulation, 2020 के बिन्दु संख्या-3.3.2 (Application for new LT Connection) की तालिका-3.6 में वर्णित दरों के अनुसार ही सर्विस लाइन चार्ज एवं अन्य शुल्क लेते हुए संयोजन निर्गत किया गया है, जोकि सही एवं नियमानुकूल हैं। संयोजन का स्थाई विच्छेदन होने के उपरांत जमानत धनराशि के अतिरिक्त विद्युत उपभोक्ता से लिए गए अन्य प्रकार के शुल्क को वापस करने का प्रावधान उपरोक्त विनियम में उपलब्ध नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

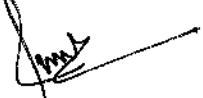
क्रमशः 3.....



आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र माल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 07/2025-26

दिनांक : 28.05.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै० जे.डी.एस.पी. डिस्टिलरीज एण्ड ब्रेवरीज प्रा० लि०,
एस4, 18 आई.आई.ई. इस्कॉट, सिडकुल, काशीपुर।

परिवादी

बनाम
अधिकासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै० जे.डी.एस.पी. डिस्टिलरीज एण्ड ब्रेवरीज प्रा० लि० का एक शिकायती पत्र दिनांक 07.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-370K000909638 (250 केवीए औद्योगिक) के लिए उक्त नया विद्युत संयोजन लिया गया है जिसका एस्टीमेट बनाया गया था, लेकिन जो एस्टीमेट बनाया गया था वह पूरा नहीं था। उनके द्वारा सामान वापिस कर दिया था, वह चाहते हैं कि वापिस किए गये सामान का रिफण्ड मिले या विद्युत बिल में राशि समायोजित की जाए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिकासी अभियन्ता, वि०वि०ख०, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 07.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 21.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 21.04.2025 व 15.05.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिकासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1756 दिनांक 13.04.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा विभागीय कार्यालय में 250 केवीए के विद्युत संयोजन हेतु दिनांक 27.03.2024 को आवेदन किया गया, जिसके उपरान्त नये विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने हेतु माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून द्वारा पारित UERC (The

क्रमशः 2.....

Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulation, 2020 के बिन्दु संख्या-3.4.2 (Application for new HT/EHT Connection) के टेबल 3.10 के अनुसार परिवादी को (Works Charges for HT/EHT Connections) रू0 2,80,000.00 तथा जमानत राशि रू0 3,75,000.00 जमा कराने का डिमांड नोट भेजा गया। परिवादी द्वारा उक्त धनराशि खण्ड कार्यालय में जमा कराने के उपरांत उसे विद्युत संयोजन संख्या-370K0000909638 निर्गत किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप प्राक्कलन प्रति, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी सप्लाय कोड नियम की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulation, 2020 के बिन्दु संख्या-3.3.2 (Application for new LT Connection) की तालिका-3.6 में वर्णित दरों के अनुसार ही सर्विस लाईन चार्ज एवं अन्य शुल्क लेते हुए संयोजन निर्गत किया गया है, जोकि सही एवं नियमानुकूल हैं। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के रामक्ष अपील कर सकता है।


(रमेश चन्द्र मथाल)
तकनीकी सदस्य


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य